

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

भवरसिंह पुत्र बगतसिंह

बनाम

नरपतसिंह पुत्र लालसिंह वगैराह

क्रिस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955

मुकदमा नम्बर 95/19

सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
26.07.2019	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकॉर्ड व दरतावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 को आगामी पेशी तारीख 29.08.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि हापासर पटवार हल्का देडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोखाला तहसील बालेसर के खसरा नम्बर 508 रकबा 141.14 बीघा एवं 495 रकबा 176.18 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि ने किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही भूमि को निशिष्ट भू-भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 29.08.2019 को पेश हों।</p>	<p>नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई</p>

उपखण्ड अधिकारी बालेसर

19/8/19 फावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रजि. A.D. की तारीख पेश की तामिल तिसल है। अप्रार्थीगण की तरफ से खसरा 508 के अधिवक्ता आस्पान द्वारा खसरा 508 पेश किया गया जा चुका है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खसरा 151 CPL का पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खसरा 151 CPL का पेश किया गया। अधिवक्तागण द्वारा खसरा 151 CPL पर बहस की गई। बहस खती गई। धारा 151 CPL पर पेशी पत्रों को अधिका दिनांक 26/7/19 की पालना करते हुए राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना है। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य जाता है। पत्रावली वारंसे अप्रार्थीगण के खसरा हेतु दिनांक 26/7/19 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी बालेसर



फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यूस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
11/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगणों का जवाब प्राप्त नहीं। जवाब हेतु अवसर दिया गया था। अतः अप्रार्थीगणों का जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली में बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओं पर पत्रावली का अवलोकन किया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम दृष्टतया मामला :- राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। 2. सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकर्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। 3. अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्ध करना है परन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्ध होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है। <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओं के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा हापासर पटवार हल्का देडा तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 508 एवं 495 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">24 उपखण्ड अधिकारी, बालेसर</p>	